दिनांक 13.12.2017 को मुख्यालय स्थित नवीन सभा कक्षा में प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में आयोजित पिम एक्ट 2009 लागू करने के संबंध में समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 13.12.2017 को मुख्यालय स्थित नवीन सभा कक्ष में पिम एक्ट, 2009 लागू करने के सम्बन्ध में पिम प्रगति एवं कुलाबों की जल उपभोक्ता समितियों के गठन/निर्वाचन के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक में संलग्न सूची के अनुसार क्षेत्रीय अभियन्ताओं ने प्रतिभाग किया।

बैठक में विशेष तौर कुलाबा समितियों के गठन/निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार करने का कार्य लक्ष्य तिथि 28 फरवरी, 2018 तक पूर्ण कर लिये जाने के निर्देश दिये गये। कुछ संगठनों को छोड़कर अधिकतर संगठनों के खण्डों में कुलाबों समितियों के गठन हेतु मतदाता सूची की प्रगति "शून्य" अवगत करायी गयी मुख्य अभियन्ता (बेतवा) द्वारा अवगत कराया गया कि उनके संगठन में कुल 20787 कुलाबा समितियों बननी है। 28 फरवरी, 2018 तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी। मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) द्वारा अवगत कराया गया कि उनके संगठनों में 20789 के सापेक्ष 16728 कुलाबा समितियों की मतदाता सूची तैयार कर ली गयी है। 15 फरवरी, 2018 तक अधिसूचना का प्रकाशन करा लिया जायेगा। प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) ने पिम से सम्बन्धित सभी अधिकारियों को उपरोक्त सूचनायें अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये ताकि वे अधिसूचना का प्रकाशन सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करा दें। अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा अवगत कराया गया कि मतदाता सूची का लिंक विभागीय वेबसाइट पर कर दिया गया है। मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा) मुरादाबाद द्वारा बताया गया कि उनके संगठन में 6315 कुलाबा समितियाँ बननी हैं। 15 फरवरी, 2018 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए आवश्यक धनराशि की मांग के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) ने क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को निर्देश दिये कि वे अपने संगठन में गठित कुलाबा समितियों की निर्वाचन व्यवस्था पर आने वाले व्यय का आकलन कर बजट की मॉग सीधे वित्त नियंत्रक को प्रेषित करते हुए मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) को अवगत करायें। प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) द्वारा मुख्य अभियन्ता (बजट) को निर्देश दिये कि आगामी वित्तीय वर्ष में सहभागी सिंचाई प्रबन्धन (पिम) मद में बजट आबंटित करायें, जिसके लिए मुख्य अभियन्ता (बजट) ने क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं से बजट की मांग से सम्बन्धित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

बैठक में शासन की ओर से श्री सी0पी0 त्रिपाठी, विशेष सचिव द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। उन्होंने अधिकारियों को सचेत किया कि यह कार्य माननीय मुख्य मन्त्री जी की प्राथमिकताओं में से एक है, अतः इसमें शिथिलता कदापि न बरती जाये। उनके द्वारा निर्देश दिये गये कि धन की मांग के सम्बन्ध में चर्चा/आकलन कर लें, मतदाता सूची के काम में प्रगति लायी जानी चाहिए। उन्होंने इस तथ्य को गम्भीरता से संज्ञान में लेने को कहा कि कुलाबा समितियों का निर्वाचन/गठन प्रत्येक दशा में माह मई/जून, 2018 तक पूर्ण कराया जाना है। निर्देश दिये गये कि खण्ड में बनाई जाने वाली समस्त कुलाबा समितियों का कार्यक्रम इस तरह बनाया जाये कि 28 फरवरी, 2018 तक शत–प्रतिशत कार्य पूरा हो जाये। अतः प्रत्येक पक्ष में कुलाबा समितियों की मतदाता सूची प्रकाशन के कार्य की 20 प्रतिशत प्रगति प्राप्त हो जाये। मतदाता सूची तैयार करने हेतु स्टाफ के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों द्वारा निम्न सुझाव दिये गये:–

1. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के कार्मिकों का सहयोग।
2. सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त राजस्व कर्मियों का सहयोग।
3. कृषि से जुड़े विभाग यथा कृषि, चकबन्दी, कमाण्ड एरिया डेवेलपमेन्ट एथारिटी (C.A.D.A), ग्रेटर शारदा सहायक समादेश एरिया, राजस्व विभाग के कार्मिक तथा ग्राम विकास अधिकारियों का प्राथमिकता के आधार पर चुनाव में सहयोग लिया जाना।
4. उपरोक्त पर विशेष सचिव द्वारा भी अपने सहमति दी गयी तथा एक जनपद में स्टाफ की आवश्यकता/कार्य की आवश्यकता का आकलन करने के निर्देश दिये। विशेष सचिव द्वारा बैठक में कहा गया कि एक कुलाबें में कितने मतदाता होगें इस आकलन करा लें तथा तदानुसार जनपद में स्टाफ का भी आंकलन करा लिया जाय।
5. मतदाता सूची तैयार करने हेतु स्टाफ की मांग के सम्बन्ध में सेवानिवृत्त राजस्व कार्मियों को DEPLOY करने हेतु न्यूनतम आवश्यक स्टाफ की ही मांग की जाय।

प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) द्वारा नहरों से सम्बन्धित प्रत्येक खण्ड में अधिशासी अभियन्ता को निर्वाचन अधिकारी, सहायक अभियन्ता को सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं लिपिक को निर्वाचन लिपिक नामित

करने हेतु निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त प्रत्येक खण्ड में खण्डीय स्तरीय अवर अभियन्ता, जिलेदार एवं सींचपाल आदि (कुल 5 कार्मिकों/प्रशिक्षणार्थियों) को मास्टर ट्रेनर बनाने हेतु प्रशिक्षण के लिये नामांकित किया जाय। मुख्य अभियन्ता (बेतवा) एवं बेतवा (परियोजना) द्वारा अवगत कराया गया है कि W.P.W.S.R.P के द्वितीय चरण के अन्तर्गत जनपद ललितपुर में समितियों का चुनाव करा लिया गया है। मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके संगठन में 8 खण्डों में चुनाव प्रक्रिया प्रगति में है। विशेष सचिव द्वारा समितियों के चुनाव के सम्बन्ध में गुजरात एवं उड़ीसा माडल का अध्ययन करने पर जोर दिया। निर्णय लिया गया कि प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) प्रत्येक पक्ष (15 दिवस) में निर्वाचन की प्रगति की समीक्षा करेगें। अगली समीक्षा बैठक 15 दिवस उपरान्त अर्थात 28 दिसम्बर, 2017 को सम्भावित है।

संज्ञान लिया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता से आच्छादित समयबद्ध प्रयोजन की इस महत्वपूर्ण बैठक में जिन अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग नहीं लिया गया, उनकी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता स्तर–1(परि0एवं शोध) को शासन को अवगत करायें।

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

(कुणाल कुलश्रेष्ठ) 15/12/17
प्रमुख अभियन्ता (परियोजना)

संख्याः 376 /मु0अ0(ज0सं0)/पिम/कार्यवृत्त, दिनांकः दिसम्बर, 18, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक पिम एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (परि0 एवं शोध) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,
5. लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता स्तर–1 तकनीकी सलाहकार पैक्ट वाल्मी, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (पैक्ट) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
9. मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, ओखला नई दिल्ली–110020
10. मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मुरादाबाद।
11. मुख्य अभियन्ता (मध्य गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अलीगढ।
12. मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, कानपुर।
13. मुख्य अभियन्ता (शारदा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, बरेली।
14. मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
15. मुख्य अभियन्ता (बेतवा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।
16. मुख्य अभियन्ता (बेतवा परियोजना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।
17. मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।
18. मुख्य अभियन्ता (सरयू–प्रथम) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, फैजाबाद।
19. मुख्य अभियन्ता (सरयू–द्वितीय) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोण्डा।
20. मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, वाराणसी।
21. मुख्य अभियन्ता (बाण सागर) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(अजय कुमार) 18/12/17
मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन)